Website : www.ijbasr.org ISSN : 2349-1965
International Journal of Basic & Applied Science Research
Peer Reviewed and Refereed Journal
Impact factor 0.9
Multidisciplinary 2023; 10(2); 1 - 11

भारतीय लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया और चुनाव सुधार

रामनाथ शर्मा
राजनीतिक विज्ञान विभाग
महात्मा गाँधी महाविद्यालय, सुंदरपुर, दरभंगा

सारांशः

चुनाव लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से ही बिना हिंसा किए सत्ता का परिवर्तन होता हैं। स्वस्थ और प्रगतिशील लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार वयस्क मताधिकार होता है। भारत जैसे लोकतंत्र, जिसने विश्व के समक्ष लोकतंत्र के कसौटी पर स्वयं को एक आदर्शी मॉडल के रूप में अपनी छवि को प्रस्तुत किया है। भारत की इसी छवि को और निखारने के लिए आवश्यक है कि मतदान के अधिकार का अधिकाधिक लोगों द्वारा सही एंव गुणवत्ता पूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाए। क्योंकि यह अधिकार जनता को होता है कि वह अपने लिए एक ऐसी सरकार चुने जो उनके अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं सरक्षण प्रदान करते हुए उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सके। ताकि ऐसा वातावरण तैयार हो जाए जिसमें उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सके। भारत में हो चुके 17 आम चुनावों तथा तीन सौ से भी अधिक राज्य विधान सभाओं के चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव मजबूत हैं। भारत में संसदीय प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के रूप में चुनाव की एक व्यवस्थित व्यवस्था है जिसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए निर्देशन, नियंत्रण, की जिम्मेदारी स्वतंत्र, संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग को दिया गया है। चुनाव आयोग के माध्यम से संविधान के शिल्पकारों ने मतदान सहित तमाम अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा नीतियों के नियामकों के निर्धारण से लेकर क्रियान्वयन तक के सभी स्तरों पर अधिकाधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई जिसमे प्रत्येक चुनाव और उनके परिणामों से सामान्यतः नए अनुभवों को प्राप्त किया जाता है। तमाम साधनों, संसाधनों तथा जन जागरूकता में वृद्धि के वावजूद हम इस बात को पूर्ण रूप से नहीं नकार सकते कि आजादी मिलने के सात दशक बाद मतदान का प्रतिशत सन्तोष जनक ग्राफ तक नहीं पहुंच सका हैं नगरों, महानगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान

Corresponding Author : रामनाथ शर्मा
E-mail : sramnath1997@gmail.com

Date of Acceptance : 10.08.2024
Date of Publication : 30.11. 2024

प्रतिशत में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन शिक्षित और जागरूक लोगों की मतदान के प्रति उपेक्षा भारतीय लोकतंत्र के लिए गम्भीर मामला कहा जा सकता है। आजादी के बाद से चुनाव प्रक्रिया का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि हमारे यहां भ्रष्टाचार किस हद तक जड़ों से व्याप्त है आपराधिक तत्वों का राजनीति में कद ऊंचा हो रहा है। धनबल, बाहुबल, हिंसा सम्प्रादायिकता राजनीति जोड़, जैसे विखण्डनकारी तत्वों ने उभरकर सामने आ रहे है। भारतीय राजनीति मे पनप आयी विसंगतियां को दूर करने के लिए इनकी जड़ पर प्रहार किया जाना परम आवश्यक हैं अर्थात हमे चुनाव सुधारों के माध्यम इन समस्याओं को जड़ से समूल नष्ट करना होगा। ससमय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव सुधार के लिए कभी तीव्र गति से कभी मंद गति से प्रयास किये जाते रहे है। मुख्य चुनाव आयुक्त टी०एन०मेनन के कार्यकाल से चुनाव सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जिन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता एवं कार्य अधिकारों का विस्तार किया बल्कि चुनावों के संचालन, क्रियान्वयन, राजनीतिक दलों को अनुशासित करने में उपयोगी और सार्थक भूमिका निरवहन किए हैं।

शब्द कुंजी : लोकतंत्र, चुनाव, अधिकार, चुनाव आयोग, संविधान

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र को संरक्षण एवं संवर्धन करने का आधार हैं। भारत में 1951 – 52 में पहला आम चुनाव संपन्न कराया गया था । तब से लेकर आज 17 वीं आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रत्येक आम चुनाव में चुनाव सुधार पर बल दिया गया। प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार किया जाता है,परंतु निर्वाचन प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली मशीनरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार है। लोकतंत्र होने का मतलब यह है की चुनाव किस भांति होते हैं, चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं और आम नागरिक का निर्वाचन चुनाव व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता और ईमानदारी पर कितना विश्वास हैं ? भारत के संविधान निर्माता जानते थे इसलिए भारतीय संविधान में उन्होंने एक संविधानिक आयोग की स्थापना की है जिसका मुख्य कार्य सम्पूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,लोकसभा, राज्य सभा के सदस्य एवम राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न कराना है। इस संविधानिक आयोग को 'चुनाव आयोग' के नाम से जाना जाता है। विश्व के अधिकांश देश शासन विधानों में निर्वाचन के

अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण समझकर उसे व्यवस्थापिका की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, वही भारतीय संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन संबंधित सम्पूर्ण व्यवस्था के संचालन का प्रावधान संविधान के अंतर्गत ही निर्दिष्ट कर दिया। स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र के महत्व को समर्थन करते हुए भारतीय संविधान के एक अलग अध्याय अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचनतंत्र से संबंधित सम्पूर्ण व्यव्स्था की गई है ।आज के परिवेश में निर्वाचन व्यवस्था में होने वाली समस्याएं विद्यमान है जिनका सुधार किया जाना आवश्यक है। भारतीय निर्वाचन में विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित सुधार आवश्यक है जिन पर प्रकाश डाला जा रहा हैं।

चुनावी चन्दे में पारदर्शिता लाने हेतु सुझाव :

शक्तिशाली लोकतंत्र की आधार निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव पर टिकी होती हैं इसलिए भारत में समय समय पर चुनाव सुधारों की मांग की जाती है। यह तथ्य है कि पवित्र लक्ष्य प्राप्ति के लिए पवित्र साधन प्रयोग किये जाने चाहिए। भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा एकत्र किये गए चुनावी चन्दों को लेकर समय समय पर राजनीतिक मनीषियों द्वारा प्रश्नचिन्ह लगाते हुए इस बात पर जोर दिया जाता है कि भारतीय चुनावों मेंके द्वारा प्राप्त किए गए चन्दे ने भारतीय लोकतंत्र के सामने गम्भीर समस्याएं उत्पन्न कर दी है। जिनमें भारतीय चुनावों में बढ़ती धन की भूमिका इससे प्रत्यक्षतः सम्बंध है इसलिए चुनावी चन्दें को पारदर्शी बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाना समय और लोकतंत्र की मांग लाजमी है। केन्द्र के सत्तासीन होने के बाद से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया को पारदर्शी होना चाहिए तथा दलो को मिलने वाली चुनावी चन्दे में पारदर्शिता होनी चाहिए। गौरतलब है कि चुनावी चन्दे में पारदर्शिता की बात प्रायः प्रत्येक नेता एंव दल द्वारा की जाती है परंतु इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने से कतराते रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी एवम चुनाव आयोग भी इस दिशा में कदम उठाये जाने की मांग कर चुके है। चन्दे को प्रभावी रूप से पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर अमल किया जाना चाहिए।

♦ राजनीतिक दलों का डिजिटल लेन देन अर्थात कैश लेश चन्दा प्राप्त करना चाहिए।

♦दलो को सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाए ताकि आम जनता दलो से सूचनाएं एवं जानकारी प्राप्त कर सके।

♦ इसके लिए आवश्यक है कि 3 जून 2013 के केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए फैसले को लागू किया जाए जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा अपना मुख्य

सूचना टी अधिकारी नियुक्त किया जाना था।

♦ चुनावी खर्चे को सीमित किया जाना चाहिए। यद्यपि निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव मे एक प्रत्याशी द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि 70 लाख निर्धारित की है तथापि यह राशि सामान्य नागरिक की पहुंच से बहुत दूर है। अतः आवश्यक है कि योग्यतम व्यक्ति व्यक्ति की राजनीति प्रक्रिया का हिस्सा बने इसके लिए चुनावों को धन के प्रभाव से दूर रखा जाना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था की जा सकती है जैसा कि अमेरिका में 'प्राइमरीज' चुनाव मे व्यवस्था की गयी है।

एक साथ चुनाव कराने के विकल्प पर अमल की जरूरत :

2018 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविद जी ने राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए देश की बहुलतावाद और विविधता वादी संस्कृति को देश की ताकत बताते हुए भारत में पारम्परिक रूप से तर्कों पर आधारित भारतीयता पर जोर रहा है न कि असहिष्णु भारतीयता का। हमारे देश में हमेशा से अनेक विचार, दर्शन एक साथ शान्तिपूर्ण रूप से परस्पर प्रतिस्पर्धा करते रहे है। आज भी भारतीय लोकतंत्र को फलने फूलने के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण और विवेक सम्मत मन की जरूरत हैं राष्ट्रपति ने अपने उदबोधन में चुनाव की तरफ संकेत करते हुए जोर दिया उन्होने कहा चुनाव आयोग राजनीतिक दलो के साथ विचार विमर्श कर लोकसभा और विधान सभा चुनाव साथ कराने के विचार का आगे बढ़ाये राष्ट्रपति के सम्बोधन में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव साथ कराये जाने की बात को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगे बढ़ाया।

एक साथ चुनाव न होने से सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव देश वित्तीय संसाधनों या सरकारी कोष पर पड़ता हैं क्योंकि चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए जिस मशीनरी की आवश्यकता होती है उसमे चुनावी खर्च हो या अर्धसैनिक बलों की आवाजाही और प्रशासनिक मामले की तैनाती सबके लिए संसाधन उपलब्ध कराने में भारी धनराशि का बोझ सरकारी खजाने से वहन किया जाता है। इसके अलावा बार बार चुनाव प्रचार से भी राजकोष को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव 2017 में भाजपा ने चुनावी घोषणा में किसान कर्ज माफी की घोषणा की सरकार बनने पर इसे अमल में लाया गया ।उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी की खबर अन्य राज्यों में फैलते ही वहा भी कर्ज माफी की मांग तेजी से पकड़ती गई और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक थे उनमें सत्तारूढ़ पर या विपक्ष पर कर्ज माफी का दवाब

पड़ा। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को देखते हुए किसान कर्ज माफी भी किए गए। एक साथ चुनाव का विकल्प अपनाने के लिए चुनाव आयोग ने अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय चुनाव आयोग सम्पूर्ण भारत में एक साथ लोकसभा एवम विधान सभा चुनाव कराने में समर्थ हैं।अतः एक साथ चुनाव कराने का विचार आज लोकसभा एवम विधानसभा में विधेयक पेश किया गया है।

अनिवार्य मतदानः

भारतीय चुनाव प्रक्रिया में एक खाभी देखी जा सकती है। मतदान का कम प्रतिशत। जनता की मतदान में कम भागीदारी वह कमी है जिसकी वजह से हम विश्वसीनय लोकतंत्र नहीं बना पार रहे हैं हमारे यहां मतदान प्रतिशत कभी कभी 50 प्रतिशत ही रह जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आधे लोगो की सरकार या प्रतिनिधि चुनने में कोई भूमिका नहीं हो पायी। 50 प्रतिशत मतदाताओं के मत विभिन्न उम्मीदवारों के मध्य बट जाते है जिससे 10–12 प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाता है कि वास्तव में यह भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी खामी कही जायेगी कि जीतने वाले उम्मीदवार को कम वैधता प्राप्त होती है जोकि लोकतंत्र, के उसूलो के विरूद्ध है जनप्रतिनिधित्व के विरूद्ध है। विश्व में जहां लोकतंत्र है वहां ऐसे प्रश्न उठाये जाते रहे हैं, इस समस्या का समाधान का कई देशों ने अनिवार्य मतदान के रूप में निकाला दुनिया के लगभग 31 देशो में मतदान को अनिवार्य बना दिया गया है। इनमे से 11 देशों में तो कानूनन इसे क्रियान्वित किये जाने सम्ह पी कुछ बाध्यकारी प्रावधान है जो व्यवहारिक स्तर पर वे उतनी प्रभावी नहीं कि गयी। अनिवार्य मतदान 1924 मे आस्ट्रेलिया में लागू किया गया था। वहां वोटर को मतदान केन्द्र तक जाकर अपना नाम चिन्हित कराना अनिवार्य है। वोट देना नही। ऐसा न करने पर 20–50 डालर का जुर्माना लगाया जाता है।

भारत मे वयस्क मताधिकार लागू किये जाते समय अनिवार्य मतदान इसलिए नही रखा गया क्योंकि संविधान निर्माण इस बात से परिचित है कि तब तक भारत में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ था। लोग लोकतंत्र के लिए अनिवार्य मतदान व्यवहारिक रूप से आसान नही हैं। परन्तु हमें आज की परिस्थितियों का पूर्ण आकलन करते हुए अन्य सुधारों के साथ अनिवार्य मतदान के विकल्प पर बात करनी होगी। जब चुनाव बोटिंग मशीन से कराये जाने लगे तो हमे अनिवार्य मतदान की ओर कदम बढ़ाने के विकल्प पर विचार करना चाहिए यद्यपि अनिवार्य मतदान की

Review Research Article Website : www.ijbasr.org ISSN : 2349-1965
International Journal of Basic & Applied Science Research
2023; 10(2); 1- 11

राह में बाधाएं है पर कई समस्याओं के लिए राह भी है।

राजनीति का अपराधीकरण भारत में शान्तिपूर्ण एंव लोकतांत्रिक आधार से सत्ता परिवर्तन होना वैश्विक लोकतांत्रिक प्रणालियों के लिए आदर्शी है। आजादी के सात दशकों के बाद भारतीय राजनीति में कुछ ऐसी प्रवृतियां उभरती देखी जा सकती है जिनक शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक हैं उन्ही में से एक भारतीय राजनीति में बढ़ रही आपराधिाक प्रवृति के लोगो की पैठ है समस्या राजनीति के अपराधीकरण तक सीमित नहीं है बल्कि अपराधियों के राजनीतिकरण ने इसे और उग्र बना दिया है एक समय वो था जब व्यक्ति राजनीति में सेवक की हैसियत से सेवाभाव लेकर प्रवेश करते थे। परन्तु आज राजनीति षब्द को लोग ठीक नजर से नही देखाचे तो इसके पीछे राजनेताओं के वे आचरण ही जिम्मेदार हैं जिसमे वे निजी लाभो के लिए बेईमानी भ्रष्टाचार, हत्या जैसी हिंसक आदि किसी भी आचरण को अपनाने से पीछे नहीं हैं। वैसे जंग और इश्क में सब जायज है कह देना भारतीय राजनीति के अपनानेन परिस्थितियों के सन्दर्भ में तो अतिश्योक्ति नही होगी।

गौरतलब है कि राजनीति के अपराधीकरण के लिए भ्रष्ट नेताओं को आयोग्य घोषित किया जाना देश की राजनीति की प्रमुख मांग है परन्तु यह विचारणीय है जिस के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है उन्हे अयोग्य माना जाए अथवा जिन्हें मामले में सजा सुना दी गयी है उन्हें। इसके लिए गम्भीर विचार किया जाना चाहिए। चूंकि न्यायालय में सजा की न्याय प्रक्रिया लम्बी है। इसके लिए नेटो से सम्बंधित मामलो की सुनवाई त्वरित न्यायालयों में अलग से की जाए दूसरा यह है कि भारत में नेताओं के रसूख के कारण मामले दर्ज नही हो पाते तो दूसारा पहलू राजनीतिक फायदे के लिए ऐस मामलों की संख्या में वृद्धि होन की भी आशंका है। अतः अपराध की गम्भीरता को नेताओं के खिलाफ मानक रूप मे रखा जा सकता है। गम्भीर मामले तथा आय से अधिाक सम्पत्ति, हत्या बलात्कार आदि संज्ञेय अपराधों के दोषियो को अयोग्य घोषित करते समय कोर्ट में केस की स्थिति तथा सबूतो की स्थिति की जांच के बाद ऐसा जा सकता है । वही इन मामलों में किसी भी स्तर के न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा को आधार मानकर अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था रखी जाए। नामचीन लोकसेवक एंव नेताओं के खिलाफ मामलों मे सुप्रीम कोर्ट दखल देकर मामला दर्ज कर सुनवाई प्रारम्भ करने का विकल्प भी भारतीय राजनीति के अपराधीकरण में आवश्यक कदम उठाये जा सकते है। इसका एक मात्र उपया सख्त कानून

उनका पारदर्शी क्रियान्वयन ही लोकसेवक तथा नेताओं के मन मे डर पैदा कर सकता है।

सभी उम्मीदवारों को नकारने का मुद्दा 'अयोग्य मत' अर्थात नोटा –27 सितम्बर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 (ए) के तहत नकारात्मक वोट को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानेते हुए वोटिंग मशीन में नोटा का विकल्प एवं देने का आदेश दिया। इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव जो नवम्बर दिसम्बर 2013 मे हुए नोटा का विकल्प दिया गया। 16वीं लोकसभा चुनाव मे पहली बार आम चुनाव 2014 में नोटा की व्यवस्था की गई। भारतीय मतदाताओं को 'नोटा' का अधिकार दिया जाना एक महत्वपूर्ण प्रयास है लेकिन इसे लेकर आम जनता में जागरूकता की कमी हैं कुछ 'नोटा' को 'राइट टू रीकॉल' समझा। परन्तु वास्तव में यह मतदाता को अभिव्यक्ति की आजादी के लिए दिया गया अधिकार है जिसमे नकारात्मक मत की भी समान स्वतंत्रता है। नोटा वोटों की संख्या सभी उम्मीदवारों को मिली संख्या से अधिक होने पर भी चुनाव रद्द करने की व्यवस्था नही है बल्कि इस स्थिति मे भी अधिकतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही विजयी घोषित किया जायेगा। जहां तक लोकतंत्र में जिस की ज्यादा संख्या होती है उसकी जीत होनी चाहिए चाहे नोटा क्यों न हो । ऐसी स्थिति में पुनः चुनाव होनी चाहिए।

लोक लुभावन वादो की निगरानी :

चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों द्वारा जन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे आजमाए जाते है। चुनाव से पूर्व लुभावन वादे और जनकल्याणकारी, विकास परियोजनाओं की घोषणा किया जाना भी दलों की रणनीति का हिस्सा है। जिन पर निगरानी रखी जानी चाहिए। इसके लिए चुनाव से पूर्व एक स्वायत्त आयोग का गठन किया जा सकता है। जो दलो द्वारा की जाने वाली ऐसी सभी घोषणाओं की निगरानी कर सके ताकि इनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। सरकारी खजाने से टी०वी०, लैपटॉप, साड़ी आदि सामग्री देकर मतदाता से वोट मांगना रिश्वत देकर वोट लेने की तरह है। प्रायः सत्ताधारी दल का सत्ता का अनैतिक रूप से लाभ लेने की जुगत भिड़ाते है वे सरकारी धन का उपयोग अपने लिए पुनः सत्ता प्राप्ति का रास्ता तलाशने के चक्कर में धन का बंदर बांट करते हैं। चुनाव से कुछ समय पूर्व वोटो का ध्रुवीकरण करने के लिए समाज के कुछ विशेष वर्गों को आर्थिक और सामाजिक लाभ देने वाली घोषणाओं पर निगरानी रखी जानी चाहिए क्योंकि भारत

Review Research Article Website : www.ijbasr.org ISSN : 2349-1965
International Journal of Basic & Applied Science Research
2023; 10(2); 1- 11

की विविधता में एकता को अक्षुण बनाये रखने के लिए राजनीतिक दलो के जाति, धर्म अर्थ और पद के आधार पर जाना चाहिए। मतदान की व्यक्तिगत, स्वतंत्रता का अधिकार है और इन आवरण या प्रभाव सर्वथा अनुचित है।

मतदान को राष्ट्रीय दायित्व घोषित किया जाए :

मतदाता द्वारा मतदान न करना अपराध घोषित किया जाए ये बात व्यवहारिक नहीं है क्योंकि मतदान कर्तव्य नहीं मतदाता का अधिकार है जिसे इस्तेमाल न करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय हैं परंतु उसे अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित अवश्य किया जा सकता है इसके लिए ई–वोट की व्यवस्था की जाए। तथा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मतदान को 'राष्ट्रीय दायित्व' या मूल कर्तव्य में जोड़ा जा सकता है। ऐसा करने से निश्चय ही मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सकेगा। जिसके परिणाम स्वरूप एक स्वस्थ लोकतंत्र और जीवंत हो जायेगा।

प्रचार का इलेक्ट्रॉनिकी करण :

चुनावों की घोषणा होते ही नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाते है। निर्वाचन आयोग शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष चुनावों का पर्यवेक्षण करने की व्यवस्था में निर्वाचन आयोग की पहल से समय समय पर चुनाव सुधारों की गति तेज और मंद होती रही हैं मुख्य चुनाव आयुक्ता को पहल से चुनावों में प्रचार का नया दौर प्रारम्भ हुआ। अब प्रचार में बड़े बड़े पोस्टर, बैनर नहीं दिखते न ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि करने वाले लाउड स्पीकर। नेताओं द्वारा प्रचार हेतु की जाने वाली जन सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को लाना उन्हें भाषण सुनने को मजबूर करना आज के मीडिया के दौर में ठीक नहीं है आजकल नेताओं द्वारा रोड शो को भी अहमियत दी जाती है। रोड शो प्रचार के दौरान जनता को घण्टों जाम में फंसे रहना होता है। उन्हें तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ई–प्रचार चुनाव सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नेताओ द्वारा लोगो तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जन सभाए करनी होती हैं। वही बात वे टीवी और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से रखनी चाहिए। 2014 आम चुनाव में ई–प्रचार का बूखबी प्रयोग किया गया।

जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकारः

प्रत्येक प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव इस अपेक्षा से करती है कि वे उनकी आवाज बनकर न केवल उनकी समस्याओं को उठाएंगे बल्कि उन

Review Research Article Website : www.ijbasr.org ISSN : 2349-1965
International Journal of Basic & Applied Science Research
2023; 10(2); 1- 11

समस्याओं के समाधान के लिए समुचित कार्यवाही नीति निर्माण भी करेंगे। प्रायः जनप्रतिनिधियों का आचरण जब उनकी अपेक्षा के प्रतिकूल होता है। तब उन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को दने की व्यवस्था को 'राइट टू रीकॉल कहा जाता है। राईट टू रीकॉल का जन्म स्वीटजरलैण्ड में हुआ था किन्तु सर्वप्रथम 1903 में अमेरिका के लॉस एंजिल्स म्यूनिसीपॉलिटी तथा 1908 मे मिशिगन ओर ओरेगान मे राज्य अधिकारियों के लिए लागू किया गया। भारत में जय प्रकाश नारायण ने 1974 मे सम्पूर्ण क्रान्ति के दौरान राइट टू रीकॉल का नारा दिया। सर्वोच्च न्यायालय में भी अपने एक निर्णय मे माना कि राईट टू रीकॉल जनता को सशक्त बनाने का उत्तम विकल्प हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने म्यूनिसीपालिटी एक्ट में संशोधन कर इस व्यवस्था को लागू किया। बिहार में पंचायत सतर पर पहले से ही राईट टू रीकॉल लागू है। वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक आन्दोलन करने वाले समाज सेवी अन्ना हजारे व उनके समर्थक भी 'राईट टू रीकॉल' की मांग करते रहे हैं। भारत मे जनप्रतिनिधियों के गैर जिम्मदाराना आचरण को लेकर वास्तव में असन्तोष बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में राईट टू रीकॉल प्रभावी साधन हो सकता है लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस सम्बंध में इच्छुक नहीं दिखता। दरअसल इसके लागू किये जाने की व्यवस्था में पारदर्शिता या सुचिता को लेकर निरन्तर भ्रम की स्थिति प्रकट की जाती है।

आदर्श आचार संहिताः

पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दलो, उम्मीदवारो, एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के आचरण को अनुशासित किया जाए। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सभी एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के मॉडल कोड आफ कंडक्ट को बनाया। जिसे पहली बार 1960 में केरल विधानसभा चुनाव सर्वसम्मति से बताया गया की नेताओं को कया करना है और क्या नही। 1962 के लोकसभा चुनाव में इसे लागू किया गया तथा इसका क्रियान्वयन 1967 से आरम्भ हुआ। विभिन्न राजनीतिक दलो के मध्य स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा के लिए आचार संहिता के रूप में दिशा निर्देश तय किये गए जिनमें चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति को गन्दा न करने, वाहनो की संख्या, लाउडस्पीकर का भड़काऊ भाषण प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग, बिना अनुमति सभा करने आदि को वर्जित किया गया हैं। आचार संहिता स्वैच्छिक है। कभी कभी आचार संहिता उल्लंघन की शिकायते आयोग के पास आती है। जिन पर आयोग के द्वारा

त्वरित करवाई की जाती है। यह समझना आवश्यक है कि यह दिशा निर्देश स्वैच्छिक है लेकिन इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के बाद कानूनी पहचान मिलती है। आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय समय पर इसे कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग की जाती हैं मगर चुनाव आयोग का मानना है कि आचार संहिता को कानूनी रूप दिए जाने के बाद चुनाव आयोग इसके क्रियान्वयन की लम्बी, उलझाउ प्रक्रिया में उलझकर रह जायेगा और महत्वपूर्ण कार्य इससे बाधित होंगे। भले ही आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट है पर जिस प्रकार से दलो ने इसका सम्मान करते हुए तदानुकूल आचरण किया है इससे यह मॉरल कोड आफ कन्डक्ट बन गयी हैं यदि इसे कानूनी मान्यता दी जाए तो अलग से आचार संहिता आयोग का गठन किया जाए ताकि निर्वाचन आयोग के कार्यों में बाधा न पड़े।

निष्कर्ष :

चुनाव लोकतंत्र का प्राणतत्व है। चुनाव के माध्यम से ही लोकतंत्र जीवन्त बना रहता है तथा गतिशीलता व निरंतरता प्राप्त करता है। लोगो का विश्वास और वैधता ही वह आधार मूल्य है जिस पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली काम करती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव सरकार व नागरिको के मध्य सेतु का कार्य करते है। लोकतन्त्र लोगों का, लोगों द्वारा, लोगो के लिए तभी हो सकता है जब प्रतिनिधि सही मायने में जनता की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हो। स्वतंत्र एवं पारदर्शी चुनाव, स्वैच्छिक भागीदारी, विचारो की स्वतन्त्रता के वातावरण में ही लोकतंत्र सशक्त हो सकता है। जनमत का सही आकलन होना मजबूत लोकतन्त्र की अनिवार्य शर्त है। भारत विश्व में अपने चुनावी लोकतन्त्र के लिए प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के लोकतन्त्र समर्थकों के पास भारत के 17 वे लोकसभा चुनाव के महत्त्व को मानने के अच्छे कारण है। जिसके कारण आज भी लोकतंत्र के कसौटी पर खरे हैं।सार्वभौमिक मताधिकार लागू होने के बाद से पहली बार देश भर के 66.4 प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी ने भारत को विश्व से सर्वाधिक मतदान वाले देशो की सूची में शामिल करा दिया है। लम्बे और व्यापक चुनाव मतदान के बावजूद आमतौर पर शान्तिपूर्ण, नियमपूर्वक, स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव भारत की आन्तरिक शक्ति और लचीले लोकतन्त्र की प्रमाणित करता है।

सन्दर्भ :

1. श्याम सुभाष (2003), निर्वाचन हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया पे० स० 221

2 नारायण इकबाल (2002), मताधिकार निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्वः शासन के सिद्धांत जयपुर ग्रंथ विकाश प्रकाशन पे० स०. 142– 145

3. बघेल डी एस(1996), अपराध शास्त्र, सरस्वती प्रकाशन, नई दिल्ली पे० स० 103

4. दिघे,शरद तथा सुंदररियाल आर. बी. (1997) चुनाव सुधार व प्रक्रिया श्री पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली

5. डॉ. आर एस आढ़ा,(2008)भारत में निर्वाचन व्यव्स्था चुनौतियां एवम संभावनाएं, ए बी डी पब्लिकेशन जयपुर, पे० स० 199

6. दुबे कुमार अभय, (2002) लोकतंत्र के सात अध्याय,वाणी प्रकाशन , नई दिल्ली पे० स० 198